अपील संख्या :– 4/2014

मांगीलाल पिता नन्दा जी धाकड निवासी जोधा पटेल की खेडी तह0 बेगूँ के बजाय
1/1– शांतिबाई पत्नी मांगीलाल धाकड निवासी जोधापटेल की खेडी तह0 बेगूँ
1/2– चंदाबाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी जोधापटेल की खेडी तह0 बेगूँ
1/3– लीलाबाई पुत्री मांगीलाल धाकड निवासी जोधापटेल की खेडी तह0 बेगूँ

अपीलार्थी

बनाम

1– श्री नन्दा पिता मु0 रामा जी धाकड निवासी जोधापटेल की खेडी तह0 बेगूँ के बजाय
1/1– कमला पिता नंदा धाकड निवासी जोधापटेल की खेडी तह0 बेगूँ
1/2– सीता पिता नंदा धाकड निवासी जोधापटेल की खेडी तह0 बेगूँ
2– श्री देवीलाल पिता नन्दा जी धाकड निवासी जोधापटेल की खेडी तह0 बेगूँ
3– श्री नानालाल पिता नन्दा धाकड निवासी जोधापटेल की खेडी

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थित ::– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री सुरेश चन्द्र टेलर
अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस्

आदेश दिनांक ::– 27–10–2023

आदेश अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरण संख्या 201 ग्राम जोधापटेल की खेडी प0ह0 मेघपुरा निर्णित दिनांक 05.08.2014 निर्णय ग्राम पंचायत मेघपुरा ।

अपीलार्थी की ओर से अपील पत्र अधिवक्ता श्री मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया गया कि खातेदार नंदा के पुत्र की ओर से ग्राम पंचायत मेघपुरा द्वारा नामान्तरण संख्या 201 पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील निम्न बिन्दुओं पर प्रस्तुत है।

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक खातेदार नंदा पिता मुतबन्ना रामा धाकड द्वारा पैतृक कृषि आराजीयात जो संयुक्त परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सम्पत्ति है, को सभी कोपार्सनर्स की सहमति के बिना अपीलार्थी को उसके हिस्से से महरूम करने की नियत से विधि विरूद्ध तरीके से जरिये पंजीकृत दानपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को दान कर दी जबकि खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो परिवार की ओर से मेनेजर के रूप में उक्त सम्पत्ति का खातेदार है , को किसी भी अविभाजित सहदायिकी (कोपार्सनरी) सम्पत्ति को किसी को भी किसी भी रूप में दान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। बिना विधिक अधिकार के निष्पादित दान पत्र पर कानून की मंशा जाने बिना एवं कानूनन ऐसे दान विलेख अवैध एवं प्रभाव शुन्य (वोईड) दस्तावेज होने के बावजूद ग्राम पंचायत ने नामान्तरण निर्णित करने में कानूनी भूल की है जिससे नामान्तरण निरस्त होने योग्य है।

यह कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्व रेकार्ड के अनुसार नामान्तरण में आराजी नम्बर एवं रकबा की प्रविष्ठी नहीं होते हुए एवं दान विलेख में अंकित हिस्सानुसार भी नामान्तरण से प्रविष्ठी नहीं होते हुए विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरण स्वीकृत करने में कानूनी भूल की है जिससे भी निर्णय नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि ग्राम पंचायत द्वारा एक वैद्य दान के लिए दान गृहिता की सहमति एवं स्वीकृति कानूनन आवश्यक होने की तथ्य की जॉच किये बिना मात्र पंजीकृत दानपत्र को आधार मान कर नामान्तरण निण्रय करने में भूल की है जिससे निर्णय नामान्तरण निरस्त होने योग्य है।

यह कि नामान्तरण [illegible] दिनांक 05.08.2014 को होकर इसकी जानकारी अपीलार्थी को जमाबन्दी एवं नामान्तरण [illegible] 24.09.2014 को नकल प्राप्त करने से प्राप्त हुई एवं जानकारी दिनांक [illegible] में [illegible] नामान्तरण प्रस्तुत है। कानूनी पैचीदगी से बचने के लिए नियमानुसार धारा5 [illegible] प्रार्थना पत्र भी अ[illegible] प्रस्तुत है।

यह कि अपीलार्थी [illegible] पुत्र होकर सहदायिक[illegible] दान आराजीयात पैतृक अविभाजित सम्पत्ति होने से अपीलार्थी का उक्त आराजीयात में हक निहित हो प्रभावित होने से अपील करने का पूर्ण कानूनी अधिकार रखता हैजिससे अपीलार्थी की ओर से अपील न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है। अपील श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होकर अपील पूर्ण न्यायशुल्क पर मय सम्मन प्रोसेस व नकलों के प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:22 IST
Reason: SelfAttested

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 201 निरस्त फरमाने की कृपा करावें।

अपील पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र टेलर द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया।

अपील पत्र के साथ प्रस्तुत धारा 05 समयावधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं कर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपील नामान्तरण वर्णित जिन कृषि आराजीयात के संबंध में प्रस्तुत की गई है उसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने न्यायालय श्रीमान में नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 114/2014 है। यह कि उक्त नियमित वाद में भी अपीलांट ने नामान्तरण वर्णित दान विलेख एवं नामान्तरण को चुनौती दे रखी है ऐसी स्थिति में नियमित वाद के लम्बित रहते अपील अपीलाट में सुनवाई किया जाना संभव नहीं है एवं अपील सुनवाई स्थगित रखे जाना न्यायोचित है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं कर अपील पत्र पर सीधे ही बहस विरूद्ध नामान्तरण संख्या 201 पर किये जाने का निवेदन किया गया । हमारे द्वारा अपील पत्र पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी श्री मंत्री द्वारा अपनी बहस अपील पत्र के अनुसार करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने नामान्तरण संख्या 201 को निर्णित करने में भारी भूल की है क्यो कि मात्र रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर ही उक्त नामान्तरण रेस्पो. सं. 1के नाम पर निर्णित कर दिया गया है जबकि वर्णित कृषि आराजीयात पैतृक सम्पत्ति होकर अविभाजित आराजीयात है, जिसे किसी को भी किसी भी रूप में दान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। निष्पादित दान पत्र पर कानून की मंशा जाने बिना एवं कानूनन ऐसे दान विलेख को अवैध एवं प्रभावशुन्य (वोईड) दस्तावेज होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत ने नामान्तरण निर्णित करने में भूल की है। अपीलार्थी का उक्त आराजीयात में हक हित निहित होकर प्रभावित हो रहा है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी की स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 201 को निरस्त फरमाया जावें। बहस के दौरान अधिवकता अपीलार्थी द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उनमें नकल नामान्तरण संख्या 49 ग्राम जोधा पटेल की खेडी की छायाप्रति, नकल जमाबंदी ग्राम जोधापटेल की खेडी सं0 2026 से 28 खाता संख्या 43 की छायाप्रति तथा नकल जमाबंदी ग्राम जोधापटेल की खेडी सं0 2028 से 30 खाता संख्या 12 तथा नकल पंजिकृत बक्शीसनामा एवं नकल मिलान ख्यासरा ग्राम जोधा पटेल की खेडी की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है इन सभी दस्तावेज का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया । अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपील पत्र खारिज किये जाने योग्य है क्यो कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान में ही एक राजस्व वाद पत्र जिसके प्रकरण संख्या 114/2014 होकर विचाराधीन है भी प्रस्तुत कर रखा है उक्त वाद पत्र में भी पंजीकृत दानपत्र एवं उसके अनुसार खोले गये नामान्तरण को चुनौती वाद पत्र में दी हुई है, जहॉ तक खोले गये नामान्तरण का प्रश्न है वह न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत दान पत्र के आधार पर ही अंकित होने से उसे स्वीकृत कर निर्णित किया है, इस प्रकार खोला गया नामान्तरण संख्या 201 में कोई कानूनी त्रुटी नहीं है क्यो कि जबतक पंजीकृत दस्तावेज प्रभाव में रहता है उस पर निर्णय किया जाना कानूनन सही माना जावेगा साथ ही नामान्तरण एक प्रथम ईकाई है जो किसी के हक स्वामित्व को निर्णित नहीं करता है। जब न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है तो सभी तथ्य [illegible] आधार पर निर्णित किये जा सकते है इस अपील पत्र में किसी प्रकार का कोई आदेश [illegible] जाना न्यायसंगत नहीं होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट [illegible] जा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील बहस के दौरान निम्न न्यायिक उदहरण की छायाप्रति [illegible] की है जिनमें आर आर टी 2016 (2) पेज 1051, आर आर टी 2018(2) [illegible] टी 2014–15 सुप्रिम कोर्ट पेज 467 एवं आर आर टी 2018(2) पेज 1084 प्रस्तुत की है जिनका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया न्यायिक सिद्धान्त में " रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण तस्दीक किया– अधिसूचना तहसीलदार की क्षेत्राधिकारिता अपवर्जित नही करती और नामान्तरण केवल एक प्रविष्टि है तथा स्वत्व या अधिकार प्रदत्त नहीं करता निर्णित रेफरेन्स पोषणीय नहीं है व खारिज किया ।"

अन्य सभी न्यायिक दृष्टान्त का हमारे द्वारा गहनता से अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात एवं प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रस्तुत न्यायिक उदहरण के अवलोकन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:22 IST
Reason: SelfAttested

नुसार नामान्तरण केवल एक प्रविष्ठी है जो स्वत्व या अधिकार प्रदत्त नही करता है। वैसे भी अपीलार्थी द्वारा इसी न्यायालय में एक वाद पत्र भी इन्हीं पंजीकृत दस्तावेज एवं उसके आधार पर खोले गये नामान्तरण को चुनौती करते हुए प्रस्तुत किया गया है, हमारी विनम्र राय से प्रस्तुत राजस्व वाद पत्र में सभी तथ्यों को गहनता से जॉचते हुए उनमे प्रस्तुत सभी दस्तावेजो के गुणअवगुण के आधार पर निर्णय किया जाना हम न्यायसंगत समझते है। इस अपील पत्र को स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

अतः अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरण संख्या 201 ग्राम जोधापटेल की खेडी प0ह0 मेघपुरा का निर्णय दिनांक 05.08.2014 सही होने से यह अपील अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र एतद् ,द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.10.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:22 IST
Reason: SelfAttested